


कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
(प्रशिक्षण निदेशालय)
संख्या क्र. 11(1)प्रशिक्षण निदेशालय/2014/1151-1221 दिनांक 29.12.2015.

स्थायी आदेश क्रमांक 03 / 2015

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(3) के तहत कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 30(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित रथाई आदेश सं० 05/2009 के अतिक्रमण में कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल का संलग्न पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।


(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर
7. प्रधानाचार्य, आर०पी०टी०सी० जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/किशनगढ़/खैरवाड़ा/झालावाड़
/बीकानेर/अलवर/भरतपुर/आर०पी०टी०सी० जोधपुर।
9. कमाण्डेन्ट, पी०एम०डी०एस०बीकानेर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।


(नन्द किशोर)

अति० महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(प्रशिक्षण अवधि-10 सप्ताह, परीक्षा अवधि-1 सप्ताह)

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | कुल अवधि | 77 दिन |
| 2 | प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन | 60 दिन |
| 3 | अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 60 (दिवस) x 6 (कालांश) | 360 कालांश |
| 4 | बहिरंग प्रशिक्षण के लिए 60 (दिवस) x 3 (कालांश) | 180 कालांश |
| 5 | फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं | 3 दिन |
| 6 | इण्डोर परीक्षाएं | 3 दिन |
| 7 | खेल 60x1 | 60 कालांश |

राजस्थान पुलिस
कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
अंतरंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
विवरण

प्रश्न पत्र – I

वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 96

मॉड्यूल-एक – वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी

कालांश – 36

अ- भारतीय दण्ड संहिता –

| क्र.सं. | विषयवस्तु | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1 | धारा 21 से 25 तक , 34, 52क, 75, 159, 160, 509, 511 | 4 |
| 2 | धारा 295 से 298 तक | 2 |
| 3 | धारा 332,333,353, 309 | 4 |

ब-दण्ड प्रक्रिया संहिता –

| क्र.सं. | विषयवस्तु | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1 | परिभाषा – धारा 2 | 2 |
| 2 | धारा 41,41क,41ख,41ग,41घ (नवीनतम विधिक प्रावधान), धारा 36,37,42,43। | 4 |
| 3 | धारा 46,47 | 2 |
| 4 | धारा 50,50क,51,57 | 2 |
| 5 | तलाशी – धारा 100,102 | 2 |
| 6 | जमानत – धारा 436 से 439 तक | 3 |

स-साक्ष्य अधिनियम –

| क्र.सं. | विषयवस्तु | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1 | परिभाषा – धारा 3- तथ्य, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, उपधारणा | 5 |
| 2 | स्वीकृति एवं संस्वीकृति – धारा 23 से 26 तक | 3 |
| 3 | विशेषज्ञ की राय व साक्ष्य – धारा 45 से 47,159,160 | 3 |

